<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट सं0–5,उन्नाव।</u>

मुकदमा संख्या–252/2019

C.N.R.NO.UPUNO4-016415-2019

J.O.NO-2080

वादी सियाराम बनाम अज्ञात।

<u>04.11.2020</u>

पत्रावली वास्ते निस्तारण हेतु पेश हुई ।

अंतिम रिपोर्ट सं0–18/2012 दिनांकित 08.08.2012 को धारा–279,337,338,304ए,427 भा0दं0सं0 थाना आसीवन, जिला उन्नाव, के प्रकरण में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रेषित की गयी ।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। अंतिम आख्या आने के उपरान्त वादी को नोटिस जारी किया गया। वादी उपस्थित नही आयी। वादी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा पुनः विवेचना का आदेश पारित किया जा चुका है। व उक्त के सन्दर्भ में लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद भी अभी तक थाने से आख्या प्रस्तुत नही की गयी।

चूंकि प्रकरण प्राचीन है ऐसी स्थिति में इस मामले में समीचीन है कि पत्रावली पर थाने से पुनः विवेचना के उपरान्त आख्या आने पर उक्त पत्रावली पुनः सुनवाई की प्रकिया में आगे बढाया जाये।

ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर अभिलेखागार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या सं0–18/2012 दिनांकित 08.08.2012 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानसार दाखिल अभिलेखागार की जाये पत्रावली विनिष्ठ न की जाये भविष्य में आख्या प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाये।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या–5, उन्नाव।